


उपरोक्त
दस्तावेज

20/7/2022
पत्रावली पेश की। P.O. सालब
कार्य में व्यस्त है। पत्रावली
दिनांक... 21/8/2022... को पेश की।

31/8/2022
पत्रावली पेश की। पत्रावली का गहनता से
अवलोकन किया गया, शर्चना पत्र में वर्णित आरानी
में शर्चा अंतर्गत सदस्यतिथार दर्ज है। शर्चा शर्चनापत्र
में वर्णित भूमि का तन्हा स्वामि ना वेडर, स्वयं
के रिश्ते तड भूमि का शर्चा है। जिसका वर्तमान में
विधिवत विभाजन नहीं होने एवं भूमि खतिधारात से
पत्थरगदी हेतु पक्षधर नहीं बताया गया है। पत्रावली
शर्चा द्वारा सदस्यतिथार से पक्षधर बनाने काबल
शर्चा पत्र पेश करने हेतु समय चाहिए। पत्रावली अंतर्गत
का अवलोकन करने पर पाया गया कि पत्रावली शर्चा की
दस्तावेज शर्चा में ही है। अतः उपरोक्त उदात्त किया जा
सुके है। अतः वर्तमान में प्रश्नगत आरानी का
विधिवत विभाजन नहीं होने एवं भूमि खतिधारात से
पत्थरगदी काबल पक्षधर नहीं बताया जाने के
कारण शर्चा द्वारा उपरोक्त पत्र अन्तर्गत द्वारा
120 LHA अनुतोष भोग्य ना होने के कारण अस्वीकार
किया जाता है। पत्रावली फल शर्चा है। नम्बर ले
क्रम धर काबल पत्र है।


उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज



पत्रावली का कार्यवाही
(अजमेर) राज